

Jawaharlal Nehru Port Authority
Administration Department
(Personnel Section)

Ref.No.:JNP/A/IEM/Circular/2022/ 688


June 29, 2022

C I R C U L A R

Sub : Revised Threshold value fixed for Integrity Pact.

The subject issue was discussed during the recent quarterly meeting held on 29/11/2021 with the Independent External Monitor (IEM). As discussed and decided during the meeting and based on the recommendations of each HOD as per the analytical data and tender value pertaining to respective department for last two years, the revised Threshold value of Rs.1 Crore has been fixed for Administration (including Hospital), Marine, M&EE, Traffic and Finance Department. As regards to PP&D Department the threshold value has been fixed as Rs.10 crores.

Therefore, all the HODs are requested to adhere to the above threshold value and follow it strictly and submit compliance report to the Administration Department from time to time. This issues with the approval of the competent authority.


(Jaiwant B. Dhawale)

Chief Manager (A) & Secy./Nodal Officer (IP)

To:

All HODs / All Managers/ Harbour Master/ Sr. Dy. CMO

C.c. to:

- 1) Chief Vigilance Officer
- 2) PS to Chairman
- 3) PS to Dy. Chairman
- 4) Mrs. Usha Chandrasekhar, IEM
- 5) Shri. Ajai Kumar, IEM

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण
प्रशासनिक विभाग
(कार्मिक अनुभाग)

संदर्भ सं: जनेप/प्रशा./आईईएम/परिपत्र/2022/ 688


दि.29 जून, 2022

परिपत्र

विषय : सत्यनिष्ठा संधि (इंटीग्रिटी पैकट) के लिए निर्धारित संशोधित सीमा मूल्य ।

हाल ही में दि. 29/11/2021 को इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर (IEM) के साथ आयोजित तिमाही बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा की गई थी । बैठक के दौरान हुई चर्चा और लिए गए निर्णय तथा पिछले दो वर्षों का संबंधित विभाग का विश्लेषणात्मक डेटा और निविदा मूल्य के अनुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष की सिफारिशों के आधार पर प्रशासन (अस्पताल सहित), समुद्री, यांत्रिक एवं वि.अभि., यातायात और वित्त विभाग के लिए 1 करोड़ रुपये का संशोधित सीमा मूल्य निर्धारित किया गया है । पत्तन योजना एवं विकास विभाग के संबंध में सीमा मूल्य 10 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है ।

अतः सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त सीमा मूल्य का अनुपालन करें तथा इसका कड़ाई से पालन करें और समय-समय पर प्रशासन विभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें । इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



(जयवंत बी ढवले)

मुख्य प्रबंधक (प्रशा.) एवं सचिव /
नोडल अधिकारी (आईपी)

प्रति:

सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रबंधक / हार्बर मास्टर / व.उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी

प्रतिलिपि :

- 1) मुख्य सतर्कता अधिकारी
- 2) अध्यक्ष के निजी सचिव
- 3) उपाध्यक्ष के निजी सचिव
- 4) श्रीमती उषा चंद्रशेखर, आईईएम
- 5) श्री. अजय कुमार, आईईएम